राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग

क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क–3/जॉच/2004 जयपुर, दिनांक : 17 JUN 2010

–: परिपत्र :–

शासन के यह ध्यान में आया है कि कतिपय जिला कलक्टरों द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों/कार्मिकों को उनके कार्य व्यवहार के प्रति बरती जा रही लापरवाही के लिए प्रशासनिक विभाग के शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव को सूचित किए बिना ही कार्यमुक्त कर दिया जाता है एवम् निलम्बित भी कर दिया जाता है।

जिला स्तरीय अधिकारियों को कार्यमुक्त अथवा निलम्बित किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे। अत्यावश्यक होने पर सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के शासन प्रमुख सचिव से पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त कर ली जावे।

जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बरते जाने पर जिला कलक्टर्स को कार्मिक विभाग की समसंख्यक अधिसूचनाएँ दिनांक 11.12.2009, 08.02.2010, 11.03.2010 एवम् 20.05.2010 के द्वारा सी.सी.ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया हुआ है। कृपया ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 17 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावे।

यदि प्रकरण गम्भीर प्रकृति का हो तो सम्बन्धित के खिलाफ़ सी.सी.ए. नियम 16 के तहत आरोपपत्र तैयार कर प्रशासनिक विभाग के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित हो।

संलग्न – उपरोक्त अधिसूचनाएँ।

शासन प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त सचिव/विशिष्ट सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु।
7. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
9. राजकीय अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
10. प्रशासनिक सुधार (समन्वय कक्ष) विभाग (सात अतिरिक्त प्रतियों सहित)
11. समस्त विभाग/अनुभाग,शासन सचिवालय, जयपुर।

शासन प्रमुख सचिव

प्रति निम्नांकित को भी प्रेषित है :–

1. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
5. पंजीयक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, अजमेर।
7. स्थाई अधिवक्ता, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण,राजस्थान जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन प्रमुख सचिव